स्पीड पोस्ट

आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-3011/2018 श्र0 सं0 112

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

के०सेंथिल कुमार,
विशेष सचिव-सह-श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना/गया।
श्रम अधीक्षक, जमुई/बांका।

पटना, दिनांक -22-11-18

विषय :- मुख्यशीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-01-पुनर्वास, लघु शीर्ष-202-अन्य पुनर्वास योजनाएँ, समूह शीर्ष-राज्य स्कीम के अंतर्गत उप शीर्ष-0107-विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यावसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन (विपत्र कोड 26-2235012020107) के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 6852 दिनांक 01.10.2018 के आलोक में चालू वितीय वर्ष 2018-19 में 31 मार्च, 2019 तक व्यय के निमित निम्नलिखित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है-

क्र. सं	*कार्यालय का नाम*	*विषयशीर्ष* 31-सहायता अनुदान 0107.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन	*अभ्युक्ति*
1	2	3	4
1	उप श्रमायुक्त, पटना	1761260	स्वीकृत्यादेश संख्या-1/सी.एल.-10-09/2017 श्र.सं. -7523 दिनांक-15.11.18 के आलोक में
2	उप श्रमायुक्त, गया	1761260	स्वीकृत्यादेश संख्या-1/सी.एल.-10-09/2017 श्र.सं. -7524 दिनांक-15.11.18 के आलोक में
3	श्रम अधीक्षक, जमुई	1761260	स्वीकृत्यादेश संख्या-1/सी.एल.-10-09/2017 श्र.सं. -7522 दिनांक-15.11.18 के आलोक में
4	श्रम अधीक्षक, बांका	1761260	स्वीकृत्यादेश संख्या-1/सी.एल.-10-09/2017 श्र.सं. -7525 दिनांक-15.11.18 के आलोक में
	योग	7045040	

कुल आवंटित राशि ₹ 70,45,040/-(₹ सत्तर लाख पैतालिस हजार चालीस) मात्र

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि० दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

4. आवंटित राशि से सभी प्रकार की विपत्रों की जाँच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।

5. आवंटित की गयी राशि से संबंधित जिलों में विशेष आवासीय केन्द्र के संचालन हेतु निविदा के माध्यम से चयनित संस्थानों को प्रथम त्रैमासिक किश्त का भुगतान BTR.BTC Prereceipt Voucher प्राप्त कर अग्रिम के रूप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं इसके पश्चात् अन्य त्रैमासिक किश्तों का भुगतान संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के पश्चात् किया जाएगा एवं योजना के अन्तर्गत राशि की निकासी विभाग हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में संबंधित जिलों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

6. निकासी की गई अग्रिम राशि चयनित गैर सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराने के पूर्व इतनी ही राशि की बैंक गारंटी चयनित संस्थानों द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

7. संस्थानों को उपलब्ध करायी गयी राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC Form–42 में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को समर्पित करना होगा जिसकी प्रति वे महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

8. संस्थानों द्वारा समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रपत्र BTC Form–42 में Pre Audited Voucher के आधार पर BTC Form–42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में उपलब्ध कराया जाएगा।

9. निविदा के माध्यम से चयनित संस्थानों को राशि का भुगतान छात्रों की संख्या के अनुसार अनुपातिक दर से किया जाएगा एवं लागू होने वाली सभी सांविधिक कटौतियाँ कर ली जाएगी।

10. निविदा की शर्त्तो के अनुरूप चयनित संस्थानों को आवंटित केन्द्र के लिए विमुक्त बच्चों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथापि राज्य सरकार द्वारा भी इस उद्देश्य से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा एवं संबंधित जिलों में धावा दल अथवा अन्य माध्यम से विमुक्त तथा CLTS में निबंधित बच्चों को विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

11. अग्रिम निकासी के शिथिलीकरण से संबंधित स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जाएगी।

13. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।

14. यह आवंटन राज्य योजना मद से संबंधित है।

विश्वासभाजन,

21/11/18

(के॰सेंथिल कुमार)

विशेष सचिव-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-3011/2018 श्र0 सं0 112 *पटना, दिनांक* - 22-11-18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/18

(के॰सेंथिल कुमार)

विशेष सचिव-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-3011/2018 श्र0 सं0 112 *पटना, दिनांक* - 22-11-18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/ आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै॰स॰प्रे॰सं॰-482 (श्रम पक्ष) दिनांक-20.11.18 के आलोक में/प्रशाखा 2 (सरकार पक्ष)/श्रमायुक्त के सचिव/प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा प्रशाखा-01 (श्रमपक्ष) द्वारा किया जायेगा ।

21/11/18

(के॰सेंथिल कुमार)

विशेष सचिव-सह-श्रमायुक्त, बिहार।